न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—200/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/200)

1. गोपाली देवी पत्नि श्री शिवकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम नृसिंहपुरा मुकुन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. गोलू उर्फ ओमा पुत्री श्री राजेन्द्र, जाति जाट निवासी हसनपुरावास भाकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. नन्दनी पुत्री श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी हसनपुरावास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजूदेवी पत्नि श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी हसनपुरावास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. मुकेश पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी हसनपुरावास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. सीताराम पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी हसनपुरावास भांकरोटा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 23.04.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू राजस्व वाद संख्या 173/2024

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेश धायल, विजय पोषक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—20.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 173/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत वास्ते तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया तथा उक्त राजस्व वाद पत्र के साथ समान कथनों के आधार पर वादीया द्वारा एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.11.2024 को दर्ज किया जाकर विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात बाबत

मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश प्रदान किए तत्पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र बाबत वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 की तामीली पूर्ण होने पर तथा जवाब प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस समायत कर प्रकरण में आदेश दिनांक 23.4.2025 के द्वारा वादीया/अपीलांट के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 173/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 की सह खातेदारी की आराजीयात है जिस बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 अपने बाहमी बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात को अपने बहुमूल्य रूपए एवं मेहनत लगाकर उपजाउ बनाया है तथा विवादित आराजीयात बाबत बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 बाहुबल एवं लाठी के बल पर अपीलांट को अपने कब्जे की आराजीयात से बेदखल करने पर सख्त आमादा हो रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र बाबत दिनांक 21.11.2024 को विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए थे तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 तथा 5 के वकालतनामे तथा जवाब प्रस्तुत होने पर तथा उनके जवाब में किसी विशेष कारण का अंकन नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के विपरीत जाकर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.4.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया था जिस बाबत अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात की वर्तमान जमाबंदी भी प्रस्तुत की थी जिससे यह स्पष्ट था कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 विवादित आराजीयात के सह काश्तकार थे तथा अपीलांट का वाद वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजीयात बाबत दावे के निस्तारण तक विवादित आराजीयात को सुरक्षित रखते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 को विवादित आराजीयात बाबत ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावित स्थिति बनाए रखे जाने हेतु पाबंद किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत जाकर अपीलांट के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अविधिक रूप से दिनांक 23.4.2025 को निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 को विवादित आराजीयात को अनयत्र बिना बंटवारा करवाए विशिष्ठ भू भाग पर निर्माण कार्य करने एवं अन्यत्र रहन, बेचान, बय, मुंतकिल एवं हस्तांतरण किए जाने का खुला लाईसेन्स प्रदान करने जैसा आदेश

प्रदान कर दिया। अपीलांट रोड के लगवा आराजीयात पर मनबंट एवं बाहमी बंटवारे के अनुरूप काबिज काश्त चली आ रही है तथा विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 लाठी एवं बाहुबल के आधार पर अपीलांट की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करवाने पर सख्त आमादा हो रहे हैं तथा उक्त आराजीयात को बिना बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कराए बिना अनयत्र रहन, बय, मुंतकिल एवं हस्तांतरण किए जाने पर सख्त आमादा हो रहे हैं तथा अपीलांट के उक्त कथन के समर्थन में रूपनारायण पुत्र चमनलाल, गणेश पुत्र श्योजी तथा महेश पुत्र रामकरण, शिवकरण पुत्र जगन्नाथ द्वारा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त कथनों की ताईद कर निवेदन किया गया था कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 अपीलांट गोपालीदेवी की उपजाउ भूमि पर कब्जा करने पर सख्त आमादा हो रहे है तथा मौके पर लडाई झगडा एवं विवाद की पूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर विवादित आराजीयात बाबत ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने चाहिए था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों को नजरअंदाज कर मनमाने रूप से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 को अवांछित लाभ प्रदान कर अपीलांट के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.4.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश दिए गए। विवादित आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 की सह खातेदारी सह काश्तकारी की आराजीयात रही है जिस बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा बाहमी बंटवारा अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 मौके पर निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट द्वारा बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिस बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 के मध्य लडाई झगडा होने पर तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध अपीलांट के महिला एवं एकल परिवार होने का लाभ अर्जित कर फसल चोरी कर ले जाने पर उनके विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर संख्या 0271/2024 दिनांक 25.10.2024 को दर्ज करवाई जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद तथा अपीलांट एवं उसके परिवार वालों के द्वारा अपनी उक्त आराजीयात के संबंध में संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर, दूदू तथा जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण तथा पुलिस उप अधीक्षक वृत दूदू जिला जयपुर तथा उपमुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भी उक्त संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध ठोस से ठोस कानूनी कार्यवाही कर उन्हें दण्डित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनकी फोटों प्रतियां संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होने तथा समस्त तथ्यों की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अविधिक रूप से दिनांक 23.4.2025 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस के मध्य लडाई झगडा के कारण को बढा दिया है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 को विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न कर विवादित आराजीयात के विशिष्ठ भू भाग पर निर्माण कार्य कर

विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द कर अन्यत्र बिना बंटवारा किए रहन, बय, मुंतकिल किए जाने का खुला लाईसेन्स प्रदान कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 4 मुकेश के द्वारा जरिये अभिभाषक दिनांक 19.2.2025 को वकालतनामा प्रस्तुत नहीं कर यू.टी. (अण्डर टेकिंग) प्रदान कर आगामी पेशी को अपनी ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था परन्तु उसके अभिभाषक द्वारा आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर किसी प्रकार का वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार से एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की एवं ना ही उनका जवाब बन्द किया अपितु उसे उक्त पत्रावली बाबत अंतिम रूप से अविधिक रूप से सुनवाई कर उन्हें अवांछित लाभ प्रदान कर अपीलांट के उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने आदेश दिनांक 23.4.2025 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 23.4. 2025 में विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया जबकि अपीलांट द्वारा अपने उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ विवादित आराजीयात बाबत वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत कर दी गयी थी जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 सह काश्तकार के रूप में अंकित हैं तथा अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात बाबत लडाई झगडे सम्बन्धी समस्त दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि विवादित आराजीयात बाबत् रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना चाहिए था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में जाहिर कर दिया जबकि अपीलांट का राजस्व वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारे का है तथा अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में मान लिया जबकि विवादित आराजीयात बाबत् अपीलांट का राजस्व वाद बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। ऐसी स्थिति में एक सह काश्तकार दूसरे सह काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी था तथा विवादित आराजीयात बाबत लडाई झगडे एवं मारपीट तथा फसल चोरी सम्बन्धी समस्त दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् शांति व्यवस्था को देखते हुए राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.4.2025 को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 को विवादित आराजीयात बाबत् दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने तथा विवादित आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने का खुला लाईसेन्स प्रदान कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.4.2025 काबिल निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की सह काश्तकारी की आराजीयात है तथा विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट का वाद वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित है तथा विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट एवं अपीलांट के परिवार वालों के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध फसल चोरी एवं लडाई झगडे सम्बंधी मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं उसी अनुक्रम में

अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात बाबत कुर्की सम्बन्धी कार्यवाही हेतु एक रिसीवरी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 3. 12.2024 को प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 24. 2.2025 को दर्ज कर रिसीवरी प्रकरण संख्या 12/2024 बउनवानी गोपाली बनाम् गोलू अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् अपीलांट के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.4.2025 को निरस्त किए जाने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 173/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वर्णित भूमि ग्राम दूदू में होना स्वीकार है परंतु उस पर प्रार्थीया का किसी भी हिस्से पर कब्जा हो यह बात पुरी तरह से बेबुनियाद है। जब प्रार्थीया का किसी हिस्से पर कोई कब्जा ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा लाठी के दम पर सरस भूमि पर जबरन कब्जा करना के तथ्य स्वयं ही गलत है। प्रार्थीया का आराजीयात के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं है उत्तरदाता अप्रार्थीगण आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया का कोई कब्जा आराजीयात पर नहीं है। प्रार्थीया जहां तक उत्तरदाता अप्रार्थीगण की जानकारी है एक अजनबी क्रेता है जिसको कभी कब्जा अंतरित नहीं हुआ, अप्रार्थीगण मूल खातेदार है एवं विधि अनुसार मूल खातेदार के विरूद्ध अजनबी क्रेता को कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीया को कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं हुए हैं। सुविधा का संतुलन खातेदार काश्तकार होने से अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 आराजीयात के मूल खातेदार हैं एवं यदि प्रार्थीया के कथनों पर भी विश्वास किया जावे तो भी सहकाश्तकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा विधि अनुसार जारी नहीं की जा सकती। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूल खातेदार अजनबी क्रेता के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है परंतु अजनबी क्रेता को खातेदार के विरूद्ध ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया

प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा उक्त न्यायिक नजीरों एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात वाकै ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर में अवस्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 खाता संख्या 1765 कुल किता 9 कुल रकबा 19.9600 है0 के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक हिस्से अनुसार खातेदार/काश्तकार हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त आराजीयात के अपीलांट व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 5 सहखातेदार/सहकाश्तकार है तथा उक्त आराजीयात पर दोनों पक्षों के हक अधिकार निहित है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक रिकार्डेड खातेदार को अपनी आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता तथा एक रिकार्डेड खातेदार को किसी विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण बखूबी रूप से रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में सिद्ध होता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत – **1981 आर0आर0डी 295 प्रभु बनाम विश्वप्रिय** *" जहां भूमि संयुक्त खातेदारी की है वहां एक सहभागी द्वारा किया गया हस्तांतरण के संबंध में क्रेता के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। "*

अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण को सिद्ध करने का भार अपीलांट पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :– वर्तमान प्रकरण के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण का अंतिम निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद के गुणावगुण के निस्तारण पश्चात ही हो सकेगा। अतः अपीलांट्स द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग करते हुए सुविधा का संतुलन बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट सिद्ध होता है।

हमारे द्वारा न्यायिक नजीर 1993 आर0आर0डी पेज 650, 652 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें यह अंकित किया हुआ है कि "सभी सह हिस्सेदार का अविभाज्य आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना गया है और बिना बंटवारे के एक सह हिस्सेदार दूसरे सहहिस्सेदार के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई आदेश जारी नहीं करवा सकता कि एक सहभागीदार दूसरे सहभागीदार के कब्जेकाश्त में मदाखलत व मजाहमह नहीं करे"।

अपूर्णीय क्षति :– अपीलांट द्वारा उठाए गए उज्र प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण पश्चात ही तय किए जा सकते हैं। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात अपीलांट व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। माननीय उच्चतर न्यायालयों के अनेकों सिद्धांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ***सभी सह हिस्सेदार का अविभाज्य आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना गया है और बिना बंटवारे के एक सह हिस्सेदार दूसरे सहहिस्सेदार के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई आदेश जारी नहीं***

करवा सकता । यदि अपीलांट को चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाता है तो, वर्तमान रेस्पोडेंट्स के विधिक अधिकारों की रक्षा किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए उक्त प्रकरण में अपीलांट की बजाय रेस्पोडेंट को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है वरन इस बाबत अपीलांट की बजाय रेस्पोडेंट्स को होने वाली क्षति व भारी असुविधा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होने से व उक्त आराजीयात बाबत अपीलांट को किस प्रकार क्षति कारित होगी या हुई है, इस बाबत वह अपनी अपील के माध्यम से यह बताने में पूर्णतः असफल रहे है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

न्यायिक नजीर आर0आर0डी 1988 पेज 316 श्रीमती धूली बनाम मांगी में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ***" साधारणतया एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता।"*** *न्यायिक नजीर* ***1978 आर0आर0डी0 पेज 638 में भी स्पष्ट अंकन है कि "सहकृषक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं होगी।"***

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु वर्तमान रेस्पोडेंटगण के पक्ष में सिद्ध होते है।

यदि धारा 212 के अन्तर्गत स्वविवेक के अधिकारों के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य न्याय के सिद्धातों का सही प्रयोग किया है तो अपील व निगरानी न्यायालय को उक्त आदेश में दखल नहीं करना चाहिए **(1973 आर.आर.डी. 417; बहादुरमल बनाम जौहरीलाल, 1973 आर. आर.डी. 400 हीरा बनाम नत्थू)**

आर0बी0जे(9)2002 पेज 283–***RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955- SECTION 212-order of temporary injunction cannot passed against co-tenant, to deprive him from use of his share of land.***

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 173/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर